139

संख्याः 2641 / XX-1 / 12–4(10)2012

प्रेषक

जे. पी. जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय,
देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– २१ दिसम्बर, 2012

विषयः–"पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना" के अन्तर्गत जनपद देहरादून में थाना डालनवाला एवं कोतवाली में श्रेणी द्वितीय के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–दो–40–2011(2), दिनांक 21 अगस्त, 2012 के क्रम में शासनादेश संख्याः 480 / XX(1)–2011–4(10)2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना" के अन्तर्गत जनपद देहरादून में थाना डालनवाला एवं कोतवाली में श्रेणी द्वितीय के कुल 14 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था लो.नि.वि., देहरादून से प्राप्त पुनरीक्षित आगणन ₹ 161.85 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 161.85 लाख(रूपये एक करोड़ इकसठ लाख पिच्चासी हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। तत्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि ₹ 161.85 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा पूर्व अवमुक्त धनराशि ₹ 134.04 लाख को समायोजित करते हुये अवशेष ₹ 27.81 लाख(रूपये सत्ताईस लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– कार्य में अब तक हुये विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा तथा लागत पुनरीक्षण के अनुरूप बड़ी हुई धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से कराने की कार्यवाही की जायेगी।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं

है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

10– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अधिप्राप्ति व्यवस्था एवं/अथवा अन्य कारणों से अवशेष रहती है तो वह धनराशि तत्काल राजकोष में जमा/समर्पित कर दी जायेगी।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अब तक निस्पादित कार्य एवं अग्रेत्तर निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय प्रस्तुत किया जायेगा।

13– निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U. निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

14– निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

15– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

16– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 800–अन्य व्यय, आयोजनेत्तर, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, 0101–पुलिस बल आधुनिकीकरण(50% के.स.) के मानक मद 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–125/NP/XXVII(5)/2012, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव